

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.
25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs.
25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रित सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के भाग-2 (क-1) (IV) के पृष्ठ सं. 10 के क्रम संख्या 211 वाले मौजा बूढा ब्लाक बड़ागोंव तहसील ब. जिला अंशी तालुका गाँव की दर 35,00,000/- प्रति एकड़ पर विक्रित आराजी किसी भी सर्वप्रथम मार्ग/मूल्य मार्ग पुराने पर स्थित नहीं है।

एकड़ का मूल्य योग	1,51,000/-
दस्तावेज का प्रकार	बैनामा
अधिकारकारी महादय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य	} 21,53,000/-
विक्रय मूल्य	



...

राजकीय कोषागार, भोसली

कोड संख्या 23

क्रमांक 7830

नाम श्री श्री सुकदेव सुकदेव

पिता, पत्नी श्री सुकदेव सुकदेव

निवासी श्री सुकदेव सुकदेव

सहकारी श्री सुकदेव सुकदेव

दिनांक 28/12/10


रोम/इया



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL.

₹. 25000

पच्चीस हजार रुपये



Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पच्चीस हजार, कुआँ नं. 912

(2)

- | | | |
|------------------------|---|--|
| पंचनाम | - | बूढा |
| पंचनाम | - | बडागाँव |
| सम्पत्ति का प्रकार | - | कृषिकीय |
| मापन की इकाई | - | हेक्टेयर |
| सम्पत्ति का क्षेत्रफल | - | 0.615 हेक्टेयर सम्पूर्ण |
| सम्पत्ति की स्थिति | - | विक्रित आराजी सडक एवं आबादी से 200 मीटर अधिक दूरी पर स्थित है। |
| पेड़ों का मूल्यांकन | - | कोई पेड़ नहीं है। |
| बोडिंग / कुआँ / अन्य | - | कोई कुआँ नहीं है |
| प्रथम पक्ष की संख्या | - | एक |
| द्वितीय पक्ष की संख्या | - | एक |



राजस्थान बीमा, बीपी

7.3.21
मि. रमेश चंद्र, एम.बी.ए. डिप्लोमा इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट
2/10/11
मि. रमेश चंद्र

विक्रय पत्र

1,500,000.00/ 2,153,000.00 10,000.00 . 20 10,020.00 700

पतिफल मालिक
श्री रविशंकर रायत
पत्नी श्री किशोरीशरण रायत

फॉर्म रजिस्ट्री नकल व पति शुल्क योग शब्द लगभग

व्यापार व्यापार

निवासी स्थानी 834/1 मास्टर कालोनी बाहर बड़ागांवगेट तहसील व जिला झांसी



आस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 29/12/2010 समय 3:49PM

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रभारी उप निबन्धक
उप निबन्धक प्रथम
झांसी

निष्पादन लेखपत्र बाद गलत व गमझने मजबूत व पाया धनाश्रित व फलेमानागए उका

दिनांक

श्रीमती संध्या दुबे
पत्नी श्री अशोक कुमार दुबे
पेशा गृहिणी
निवासी 83 तिलयानी बजरिया तहसील व जिला झांसी



श्री रविशंकर रायत
पत्नी श्री किशोरीशरण रायत
पेशा व्यापार
निवासी 834/1 मास्टर कालोनी बाहर बड़ागांवगेट तहसील व जिला झांसी



ने निष्पादन गवाकार किया ।

जिनकी पहचान श्री पंकज चतुर्वेदी
पुत्र श्री प्रीत सिंहारी
पेशा अन्य



निवासी बाहर बड़ागांवगेट तहसील व जिला झांसी

व श्री अशोक दुबे
पुत्र श्री मुन्नीलाल



पेशा व्यापार

निवासी 66/1 तिलयानी बजरिया तहसील व जिला झांसी

ने की ।

पंयक्षनः भद्र गृहियों के निजान अपुटे नियमानुसार लिचे गये हैं।


सत्य है
निष्पादकी की पहचान गवाकार के काउंटेर/फोनकाउंटे से की गयी है
शिव शंकर रायत

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Handwritten signature

प्रभारी उप निबन्धक
उप निबन्धक प्रथम
झांसी

29/12/2010



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कॉर्ट ऑफ़, झाँसी 208005

गुण गोविंदिया

(3)

पक्ष-श्रीमती संध्या दुबे पत्नी श्री अशोक कुमार दुबे
निवासी-म.नं. पुराना 66/1, व नया नं. 83 तिलयानी
बजरिया झाँसी (पहचान, पहचान पत्र सं UP/61/328/011176)

पक्ष-मार्स डेवलपर्स एण्ड विल्टैक इण्डिया प्रा० लि०,
डायरेक्टर श्री रवि शंकर रावत पुत्र स्व० श्री किशोरी
शरण रावत निवासी-834/1, मास्टर कॉलोनी,
बाहर बड़ागँव गेट, डडियापुरा झाँसी (पहचान,
पैनकार्ड नं. AHUPR0697P)



२१

7522

माल सामग्री
विशेषज्ञता एवं
कार्य प्रणाली

२९१५१०

विक्रेता

Registration No.: 8225

Year: 2,010

Book No.: 1

0101

संध्या दूबे


अशोक कुमार दुबे

83 विलयानी बजरिया तहसील व जिला अंरसी

गृहिणी



[Handwritten signature]




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6/86

(4)

सम्पत्ति का विवरण :- आराजी भूमिधारी वार्ड गौजा बूढा ब्लाक बड़ागोंव पणना
जिला झॉरी जिसका खाता संख्या 00361 आराजी नम्बर 580 रकवा 0.267
हेक्टेयर व आराजी नं. 586 मि0 रकवा 0.348 हेक्टेयर कुल 2 किंता रकवा
0.615 हेक्टेयर सम्पूर्ण वय किया गया है। विक्रित आराजी में विक्रेता का कोई भी
अंश शेष नहीं बचा है। विक्रित आराजी सड़क एवं आवादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर
स्थित है। विक्रित आराजी किसी भी सर्वरुतु मार्ग, जनपदीय मार्ग या लिंक मार्ग पर स्थित
नहीं है। विक्रित आराजी राकर सीमा सिंचित है। जिसका नया लगान 5.75 रुपया सालाना
है। दरतावेजा हाजा के साथ विक्रित आराजी भग्दान का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रित
आराजी नक्शा नया लाल रंग में दर्शाये गये हैं जो वेनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी
जोवनिक क्षेत्र की भूमि नहीं है विशुद्ध कृषिकीय भूमि है। विक्रित आराजी में कोई पेड़ कुआँ
आदि नहीं है। बयश्दा आराजी ग्राम रागा या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

आराजी विक्रेता ने जरिये दो किता वेंनामा क्रमशः दिनांक 23-5-2006 ई० श्री भगवान दार पुत्र श्री मथुरा प्रसाद से खरीद किया था। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झॉर्स में फोटोस्टैट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 3004 के पृष्ठ सं. 195/220 पर क्रम संख्या 267- दिनांक 23-05-2006 ई० दर्ज है, व वेंनामा दिनांक 01-02-2001 ई० श्री नन्नु उर्फ ननुअ पुत्र श्री भगोले से खरीद की थी। जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार झॉर्स में फोटोस्टैट प्रति पुस्तक संख्या I खण्ड 2019 के पृष्ठ सं. 271/286 पर क्रम संख्या 43C दिनांक 01-02-2001 ई० दर्ज है। जो वंटवारे के पूर्व थी जिसके उपरान्त विक्रेता के विक्रयशुदा आराजी नम्बर 580 रकवा 0.267 हे० व आराजी नं. 586 मि० रकवा 0.348 हे० कुल 2 किता रकवा 0.615 हे० सम्पूर्ण वंटवारे में न्यायालय परगनाधिकारी द्वारा वाद सं० 404/06-07 श्रीमती संध्या बनाम बाबूलाल आदि तारीख फेसाल दिनांक 26-12-2008 व अन्तिम डिक्री दिनांक 26-12-2008 के द्वारा वयशुदा आराजी प्राप्त हुई थी। जिसे विक्रेता को आराजी पर कब्जा एवं सम्पूर्ण मालिकाना हक प्राप्त हुये। उक्त आराजी में अकृषक भूमि की घोषणा यू०पी० जेड०ए० एण्ड एल.आर. एक्ट की धारा 143 की घोषणा नहीं हुई है। तहसील सदर के राजस्व अभिलेखों में एवं झॉर्स विकास प्राधिकरण के अभिलेखों में भी विक्रित भूमि कृषिकीय भूमि के रूप में दर्ज है। एवं वर्तमान में कृषिकीय कार्य के उपयोग में लायी जा रही है। विक्रित आराजी मूल्यांकन सूची में राजस्व ग्रामों में राडक से संलग्न व आराजी में 200 मीटर सीमा-तर्पित स्थित आराजीयत की सूची (के पृष्ठ सं. 25 क्रम संख्या 6) में निर्दिष्ट क्षेत्रवार नम्बरान के किसी भी नम्बरान के अन्तर्गत नहीं आती है।




7811

mul samudra...
21asi...
mura...

23 11 10

1





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

निकेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सदस्या नहीं है।

विक्रय मूल्य- 15,00,000/- पन्द्रह लाख रुपया जिसमें मु0 10,00,000/- रुपया जरिये चैक नं. 843419 बैंक ऑफ बड़ौदा सीपरी बाजार झाँसी दिनांक 17-04-2010 ई0 व मु0 5,00,000/- रुपया जरिये चैक नं. 843420 बैंक ऑफ बड़ौदा सीपरी बाजार झाँसी दिनांक 21-08-2010 ई0 पूर्व प्राप्त कर लिया है।


श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा
निधीरत मूल्यांकन सूची के अनुसार मूल्य

21,53,000/- इक्कीस लाख तिरपन
हजार रुपया से अधिक नहीं है।

श्रीमान जिलाधिकारी



श्रीमान जिलाधिकारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

क्रमांक, 1587/01

(7)


मैं कि विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त की सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील
 है, जा कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है वानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत से पाक
 साफ व दूर है न ही आराजी के स्वाभित्व के सम्बन्ध में कोई वाद न्यायालय में
 विचाराधीन हैं न ही आराजी किसी जमानत, डिग्री, ऋण आदि में मगफूल है। चूँकि मुझ
 विक्रेता का घरु कार्य हेतु रूपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी
 वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त वय व फरोख्त करती हूँ, कब्जा दखल मालिकाना
 आज ही की तारीख से क्रेता उपरोक्त को वखूनी मौके पर करा दिया है अधिकार आप क्रेता
 आराजी मुबैया में स्वयं काश्त करें, या किसी अन्य व्यक्ति से काश्त करावें, कामजात
 मालिकाना ही मेरा नाम खारिज करके अपना नाम दर्ज कामजात करावें वय हिवा रहिन करें
 मज यह कि जो जो वादे से करें। आज की तारीख से आराजी मुबैया से मेरा या मेरे
 गारस्तान का कोई गारस्तान व ससंगर नहीं रहे न आगन्तु होगा। कल किसी कानूनी मुला



27/11/2010

Handwritten text in Hindi, possibly a signature or address, including the word 'प्रमाणित' (Certified).

23 Dec 2010
Handwritten text inside a rectangular stamp.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

लिया गया रु. 5000/-
 मुख्य लेफ्टिना कलेक्टर

(8)

की वजह से आराजी मुवेया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत मय हर्जा व खर्चा की दनादार व जिम्मेदार में विक्रेता रहूंगी। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। लिहाजा स्वेच्छा से विक्रेता एवं क्रेता द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर बिना किसी जबर या दबाव के कुल मूल्य पूर्व प्राप्त कर यह बैनामा तहरीर कर दिया जाकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम आवें।



श्री...

...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

खोजावादा, झाँसी 671/91
 मुद्रा प्रमाणित

(9)

दिनांक : 28-12-2010

प्रारूपकर्ता : पं० हरीश कुमार तिवारी, एडवोकेट, तहसील झाँसी

अभिप्रेत, नामनिष्ठ, तहसील झाँसी

प्रमाणित करने वाला अधिकारी का नाम
 श्री श्रीमती Pankaj पुत्र श्री Dinakrishan

नियारी 8/5 Bazar, Jhansi

द्वारा प्रस्तुत है। हस्ता निष्पादक

श्रीमती पुत्र


श्री निष्पादक

गवाह (1) PANKAJ CHATUR VE Di 8/5 Bazar Belan 75 Bazar, Jhansi

गवाह (2) Charan Singh Chauhan Prakash Chauhan
116 Chauhan, Jhansi

2020/11
2020/11/11

10036
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन



Akhillesh Kuppur khare
Stamp Vendor L. No.-172
PUNE, INDIA

12/11
11/11/20

महाराष्ट्र शासन


रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32 ए ए के अनुपाल हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम..... श्री श्री संस्था टुके
पता.....

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम..... श्री श्री संस्था
पता.....

बाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



दाँये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-




उक्त प्रपत्र निष्पादित-प्रलेख का अनिवार्य अंग माना/समझा जायेगा


निष्पादक

प्रस्तुतकर्ता विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

निष्पादक


श्री श्री संस्था






नक्शा -- नजरी

विक्रेता का नाम श्रीमती. स. धर्म. कुं. 200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित
 विक्रेता का नाम श्री. रवि. चन्द्र. शर्मा समपत्ति के विवरण का मानचित्र
 योजना. बुद्धा..... 200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग
 सहस्राल, परगना व जिला झाँसी से प्रदर्शित है।
 प्लॉट नम्बर → 220, 226



सहस्राल बुद्धा



विक्रेता

विक्रेता

23/11/2016

आज दिनांक 29/12/2010 को
वही सं 1 जिल्द सं 43-41
पृष्ठ सं 169 सं 192 पर क्रमांक 8225
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के इम्ताशा

प्रभारी उप निबन्धक

उप निबन्धक प्रथम

झाँसी

29/12/2010

उपनिबन्धक प्रथम

उपनिबन्धक - 340/2010

उपनिबन्धक - 1-2-1

11/2/2011

11/2/2011